न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–58/2015

–:: अनवान ::–

1.पूजा उम्र 4 वर्ष लगभग पुत्री कालूराम
2.जयपाल उम्र 2½ वर्ष लगभग पुत्री कालूराम } जाति जाट सा. पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता प्रार्थीया नं.3 कलावती
3.कलावती बेवा कालूराम पुत्र भादरराम पुत्र घेरूराम जा.जाट सा. पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1.भादरराम पुत्र घेरूराम जाति जाट सा.पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़
2.महेन्द्र
3.सुलोचना } पिसरान भादरराम जाति जाट साकिन पीपासर चक 4 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़
4.केसरदेवी
5.तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
6.उप पंजीयक राजियासर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री राजवीर भादू अधिवक्ता अप्रार्थी 1
3.श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता अप्रार्थीगण 2 ता 4
4.पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांकः–26.12.2019

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 207, 209 आर0टी0ए0 1955 के तहत प्रस्तुत कर वाद पत्र के साथ ही प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण नं. 3 की शादी अर्सा पूर्व अप्रार्थी सं.1 के पुत्र कालूराम के साथ हुई थी व कालूराम के नुत्फ से एक पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ जो प्रार्थना पत्र में बतौर प्रार्थी सं.1 व 2 पर दर्ज है। कालूराम का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो गया है। प्रार्थीगण का कहना है कि प्रकरण में अप्रार्थी सं.1 भादरराम जो प्रार्थीगण नं. 1 व 2 का दादा व प्रार्थीया नं.3 का ससुर के नाम से अपने पिता घेरूराम से उनके मरने के बाद विरासत में चक अमरपुरा के खाता संख्या 33 के खसरा सं. 29/24 में 7.3370 हैक्टर रकबा में 1/5 हिस्सा में 1.467 हैक्टर व चक गोदारान के खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 50 में 11.9160 हैक्टर, 51 में 0.7340 हैक्टर, 78 में 0.8090 हैक्टर, 79 में 2.4790 हैक्टर चारों खसरों में 15.9380 हैक्टर रकबा में 1/3 हिस्सा में अप्रार्थी सं. 1 भादर का 1/5 हिस्सा में 1.1040 हैक्टर दर्ज है। इनकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। इसी प्रकार से अमरपुरा के खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 64/29

में 3.2890 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा से अप्रार्थी संख्या 1 को 0.219 हैक्टर व चक अमरपुरा के खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 65/29 में 2.024 हैक्टर रकबा जमाबंदी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है व हिस्सा का बंटवारा करके अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण का कहना है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से उपरोक्त सारी भूमि अपने पिता भैराराम से विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या 1–2 के पिता व 3 के पति कालूराम का अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में जन्मसिद्ध अधिकार था व कालूराम के स्वर्गवास होने के बाद उनका हिस्सा प्रार्थीगण को विरास्तन कानूनी रूप प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण के पिता/पति कालूराम अपने जीवनकाल में ही अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 से अलग रहता था व उसे चक अमरपुरा के खसरा संख्या 29/24 के संयुक्त खाता की भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम/हिस्सा में 1.467 हैक्टर भूमि आती है, में 1.065 हैक्टर रकबा काश्त करने के लिए दे रखा था परन्तु कालूराम के स्वर्गवास हो जाने के बाद एक वर्ष तो प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति के 1.065 हैक्टर रकबा को काश्त किया व अप्रेल 2015 में प्रार्थीगण को अपनी ढ़ाणी से निकाल दिया व सारा सामान जब्त कर लेने पर प्रार्थीगण अपने ननिहाल/पीहर चले गये। प्रार्थीगण के जीवरयापन का एक मात्र यह कृषि भूमि ही थी इसलिए प्रार्थीगण के पिता/पति के हिस्सा की जो भूमि थी उसको अप्रार्थी संख्या 1 ने बतौर अतिक्रमी जबरिया कब्जा करके उसकी फसल का फायदा वह उठा रहा है इसलिये वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रार्थीगण के हिस्सा की 1.0650 हैक्टर भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जावे व वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 कब्जा अपने पास रखता है तो 10,000/– रूपये दस हजार रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष का ठेका राशि जमा करवाई जावे ताकि प्रार्थीगण के हित सुरक्षित रह सके।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 17.04.2015 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में दर्ज तथ्यों से इन्कार किया व इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृतक कालूराम उसका पुत्र था व प्रार्थीगण उसके पोते पोती व पुत्रवधु है, भूमि सभी खसरों में होने का तथ्य स्वीकार किया है परन्तु जो रकबा खातेदारी नही है उसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के जीवरकाल में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 का यह कहना है कि स्व0 कालूराम को काश्त करने के लिए जो रकबा दिया था उस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कब्जा नही किया है वह रकबा बिना काश्त के खाली पड़ा है। आखिर में अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि स्व0 कालूराम के हिस्सा की भूमि काश्त के अभाव में खाली पड़ी है मुझ अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए झुठा दावा 212 आर0टी0ए0 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जावे।

4. दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में दोनों पक्षों ने लिखित प्रार्थनाा पत्र व जवाब के बिन्दूओं को ही दोहराया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस की कि प्रार्थीगण नाबालिग बच्चे व विधवा औरत है उनके हितों की रक्षा अदालत द्वारा की जानी चाहिए व वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 से भारी ठेका राशि प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत होने के समय से जमा करवाई जावे चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि काश्त कर फ्रुट ऑफ लैण्ड उठा रहा है जिसका उसे कोई

अधिकार नही है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 काश्त ही नही करता रकबा बिना काश्त के खाली पड़ा है इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण नही बनता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। कानूनी नजीर आरबीजे 1998 पेज 218, आरबीजे 2007 पेज 136, आरबीजे 2003 पेज 490, आरआरडी 1977 पेज 551 प्रस्तुत की।

5. हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का एवं कानूनी नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैरप्रकरण समस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 भादरराम को विरास्तन प्राप्त हुई है, जो कि पैतृक भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से यह स्पष्ट प्रावधान है कि पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके पुत्र/पुत्री/पौत्र का जीवनकाल में ही हक होता है तथा वह अपने हकों को घोषित करवाने का हक रखता है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त रकबा को रिसीवर करने का अनुतोष भी चाहा गया है। चूंकि उक्त समस्त रकबा खसरों में स्थित व संयुक्त खाता में है, इसलिये कौनसा रकबा रिसीवर किया जावेगा, यह स्पष्ट नही है। क्योंकि प्रार्थीगण ने यह अंकित नही किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा के कौनसी दिशा में कब्जा काश्त है। इसलिये कौनसा रकबा रिसीवर किया जावेगा यह स्पष्ट नही होने से रिसीवर किया जाना हम उचित नही समझते है। चूंकि जैरप्रकरण रकबा पैतृक है एवं प्रार्थीगण नाबालिग है इसलिये न्यायालय भी उनके हित को सुरक्षित रखने उचित समझती है। इसलिये वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 भादरराम पुत्र घेरूराम वाद पत्र के निर्णय तक अपने नाम/हिस्सा की चक अमरपुरा के खाता संख्या 33 में 1.4670 है0, चक गोदारान के खाता संख्या 6 में 1.1040 हैक्टर, चक अमरपुरा के खाता संख्या 47 में 0.2190 हैक्टर एवं खाता संख्या 48 में 0.4050 हैक्टर कुल 3.1950 हैक्टर बारानी भूमि में प्रार्थीगण के 1/5 हिस्सा को रहन–बैय, मुन्तकिल नही करें एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.10 11:51:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: